फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

र्थी : श्री रतनलाल — विपक्षी : श्री सुन्दरसिंह

स्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 10/21

क	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 22 .11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प रख्यावल में पेश हुई। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित। उभय पक्षक की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 388 का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में ग्राम पंचायत साकरियाखेडी द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर गलत हिस्सा दर्ज करते हुए नामान्तरकरण पारित कर दिया गया है जो विधि विरूद्व होने से खारिज कर सही नामान्तरकरण के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपील स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अपीलान्ट द्वारा जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की हैं जो अन्दर मयाद हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत साकरियाखेडी द्वारा दिनांक 05.03.2008 को पारित किया गया हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में उक्त नामान्तरकरण ग्राम पचांयत द्वारा पारित किया गया है जिसमें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय पत्र में अंकित हिस्से के अलावा अन्य हिस्सा दर्ज कर दिया गया हैं। चूंकि प्रकरण में ग्राम पंचायत साकरियाखेडी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 388 पारित किया है वह त्रुटि पूर्ण हैं जिससे अपीलान्ट को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण को पारित करने में विधिक भूल की हैं, जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त अपील अपीलाण्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार की जाती है।

–: आदेश :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:49:46 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट ... रूप से स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत साकरियाखेडी द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 388 दिनांक 05.03.2008 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.12.2007 की जांच करते हुए साक्ष्य गवाह बयान आदि के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक निर्वाचन ...